

पत्रांक:-3प/SQM-DQM-19-01/2023/10/5/5/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द्र पटेल पथ,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 05/5/2025

विषय:- पंचायती राज विभाग अंतर्गत संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त अभियंताओं को राज्य क्वालिटी मॉनिटर (SQM) एवं जिला क्वालिटी मॉनिटर (DQM) के तकनीकी पदों पर नियोजित पदाधिकारी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल से जून तक का मानदेय हेतु भुगतान राशि ₹ 1,85,06,835.00 (एक करोड़ पचासी लाख छः हजार आठ सौ पैंतीस) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति।

प्रसंग:- विभागीय संकल्प संख्या-4864 दिनांक-05.09.2018, विभागीय आदेश संख्या-280 दिनांक-28.09.2022 एवं वि०आ०सं०-08, दिनांक-11.01.2023

आदेश:- स्वीकृत।

2. पंचायती राज विभाग के अधीन विभिन्न योजनाओं के संचालन एवं प्रबंधन हेतु राज्य एवं जिला स्तरीय इकाई के लिए संविदा आधारित सेवानिवृत्त तकनीकी पदों पर नियोजित राज्य क्वालिटी मॉनिटर (SQM) तथा जिला क्वालिटी मॉनिटर (DQM) को निर्गत प्रासंगिक विभागीय परिपत्र के अधीन, वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल से जून तक का मानदेय राशि का भुगतान किया जाना है। इनके मानदेय का भुगतान सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000, दिनांक-10.07.2015 के तहत कुल-1,85,06,835.00 (एक करोड़ पचासी लाख छः हजार आठ सौ पैंतीस) रुपये मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	प्रमण्डल का नाम	वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल से जून तक राज्य क्वालिटी मॉनिटर के मानदेय भुगतान हेतु कुल आवंटित राशि
1.	पटना	264291.00
2.	मगध	264291.00
3.	दरभंगा	264291.00
4.	तिरहुत	264291.00
5.	कोशी	264291.00
6.	भागलपुर	264291.00
7.	मुंगेर	264291.00
8.	पूर्णियाँ	264291.00
9.	सारण	264291.00
10.	मुख्यालय	264291.00
कुल-26,42,910.00 (छबीस लाख बीस हजार नौ सौ दस रुपये)		

क्र०सं०	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल से जून तक जिला क्वालिटी मॉनिटर के मानदेय भुगतान हेतु कुल आवंटित राशि
1.	अररिया	412050.00
2.	अरवल	206025.00
3.	औरंगाबाद	412050.00
4.	बेगूसराय	412050.00
5.	भागलपुर	412050.00
6.	भोजपुर	412050.00
7.	बक्सर	412050.00
8.	दरभंगा	412050.00
9.	गया	618075.00
10.	गोपालगंज	412050.00
11.	जमुई	206025.00
12.	जहानाबाद	412050.00
13.	कैमूर	412050.00
14.	कटिहार	412050.00
15.	खगड़िया	412050.00
16.	किशनगंज	412050.00
17.	लखीसराय	412050.00
18.	मधेपुरा	412050.00
19.	मधुबनी	412050.00
20.	मुंगेर	412050.00
21.	मुजफ्फरपुर	618075.00
22.	नालन्दा	412050.00
23.	नवादा	412050.00
24.	पश्चिम चम्पारण	618075.00
25.	पटना	618075.00
26.	पूर्णिया	412050.00
27.	पूर्वी चम्पारण	618075.00
28.	रोहतास	412050.00
29.	सहरसा	412050.00
30.	समस्तीपुर	412050.00
31.	सारण	412050.00
32.	शेखपुरा	206025.00
33.	शिवहर	206025.00
34.	सीतामढ़ी	412050.00
35.	सिवान	412050.00
36.	सुपौल	412050.00
37.	वैशाली	412050.00
38.	बाँका	412050.00
कुल-1,58,63,925.00 (एक करोड़ अठावन लाख तिरसठ हजार नौ सौ पचीस)		

3. इस स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198 ग्राम पंचायतों को सहायता-उप शीर्ष-0113-मुख्यमंत्री निश्चय योजना मद के विषय शीर्ष-0113.31.04-सहायक अनुदान-वेतन" से वित्तीय वर्ष 2025-26 में की जायेगी। इसकी माँग संख्या-16 एवं विपत्र कोड संख्या-16-2515001980113 है।

4. इस स्वीकृत राशि के क्रमांक-1 से 09 पर अंकित SQM के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित प्रमंडलीय मुख्यालय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद होंगे तथा क्रमांक-10 पर अंकित SQM के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे। क्रमांक-1 से 38 तक के DQM के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद होंगे जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से, बिहार कोषागार संहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

5. विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-371, दिनांक-15.12.2022 के आलोक में SQM को मानदेय का भुगतान मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, संबंधित आयुक्त कार्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर करेंगे एवं DQM के मानदेय का भुगतान संबंधित जिला के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर करेंगे।

6. इस राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा, जिसके आधार पर राशि की निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि के व्ययोपरांत नियमानुसार व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथाशीघ्र पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करायेंगे। सभी कर्मियों के मानदेय का भुगतान सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000, दिनांक-10.07.2015 के कंडिका (6)(i) के आधार पर किया जाएगा एवं आवश्यक कटौती करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। किसी भी प्रकार के गलत भुगतान के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

7. वित्त विभाग के पत्रांक-7355, दिनांक-05.10.2017 के आलोक में राशि के निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या-3प/SQM-DQM/-19-01/2023 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-.....6/...../टि० पर दिनांक-22.04.25 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर स्वीकृति प्राधिकार, सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या-3प/SQM-DQM/-19-01/2023 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-...63...../टि० पर दिनांक-30.04.25 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन) 5/5/25

संयुक्त सचिव

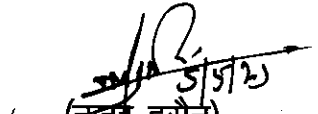
ज्ञापांक:- 3प/SQM-DQM/-19-01/2023/10(स्वी०)/प०रा० पटना, दिनांक-05/5/2025

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 5/5/25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 3प/SQM-DQM/-19-01/2023/10/10/पं०रा० पटना, दिनांक-05/5/2025
प्रतिलिपि:- सभी संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)

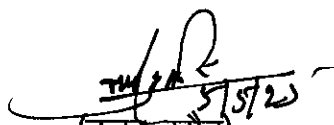
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 3प/SQM-DQM/-19-01/2023/10/10/पं०रा० पटना, दिनांक-05/5/2025
प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 3प/SQM-DQM-19-01/2023/10/10/पं०रा० पटना, दिनांक-05/5/2025
प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-05/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश की प्रति विभाग के वेबसाइट पर डालेंगे तथा संबंधितों को ई-मेल के माध्यम से सूचित करेंगे।


(नजर हुसैन)

संयुक्त सचिव

6